न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0 न0 ...13/2020 तारीखरजू:– 19-3-2020

उनवानः– गोरधन बनाम रामसिंह वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

दिनांक	फर्द अहकाम
9/3/2020	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है, कि दिनांक 29.04.2020 तक विवादग्रस्त आराजी ख0न0 202/7582/0.01, 202/7690/0.01, 207/0.18, कुल किता 3 कुल रकवा 0.20 है0 ग्राम टोडाभीम 11 बिस्वा तहसील टोडाभीम जिला करौली मे मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 2[illegible].20[illegible] को पेश हो। Signature Not Verified Digitally signed by Sunita Meena Date: 2024.05.31 16:24:38 IST Reason: SelfAttested उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली
8.9.20	लाकडाउन के कारण जनरल पेशी से पेश हुई / प्रार्थी वकील उप0 नोटिस तामील नही0 कराई है P.O. सा0 चुनाव मीटिंग मे करौली पधारे है पुनः नोटिस तलबाना पेश कर तामील कराने दिनांक 12.10.20 [illegible]

1202-1204
19-3-2020

न्यायालय उप जिला कलक्टर टो[ड़ा]

दिनांक	फर्द अहकाम
8-11-23	वादी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली गतानुसार दिनांक 12-12-23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
12-12-23	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। बहस हेतु समय चाहा। समय दिया गया। वास्ते बहस दिनांक 19.12.23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
19-12-23	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं प्रार्थी वकील कोई उप[स्थित] नहीं हुआ। बार-2 आवाज दिलाई गई। इसके बाद भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए पत्रावली अदम पैरवी व अदम हाजिरी मे खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.31 16:24:38 IST
Reason: SelfAttested